झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1059 वर्ष 2017

पनपती देवी, पत्नी–स्वर्गीय लक्षमण नोनिया, निवासी–केडला, थाना–मांडू, जिला–रामगढ़

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, धुर्वा, रांची
2. उपायुक्त, रामगढ़
3. अनुमंडल अधिकारी, रामगढ़
4. प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, मांडू, जिला–रामगढ़

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री ललित कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री मनोज कुमार संख्या–3, एस0सी0 (खान)

आदेश संख्या–04 दिनांक:27.07.2018

वर्तमान रिट याचिका अनुमंडल अधिकारी, रामगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा पारित आदेश जो दिनांक 19.07.2016 के पत्र संख्या 346/एए में निहित को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का पी0डी0एस0 लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है (रिट यायचिका के अनुलग्नक–6)। याचिकाकर्ता ने रामगढ़ के उपायुक्त

(प्रत्यर्थी नं0 2) द्वारा विविध अपील संख्या 33/2016 (रिट याचिका का अनुलग्नक–7) में दिनांक 07.01.2017 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 19.07.2016 को पारित आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा मिट्टी के तेल की कथित कालाबाजारी और इसके लिए एक एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बारे में तथ्य बताने के बादयाचिकाकर्ता का 1995 का पी0डी0एस0 लाइसेंस, पी0डी0एस0 लाइसेंस संख्या–07/1995 को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया है। दिनांक 19.07.2016 के कथित आदेश ने यह भी आगे सुझाव दिया है कि याचिकाकर्ता का पी0डी0एस0 लाइसेंस रद्द करते समय प्रत्यर्थी संख्या 3 ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित इस आशय के आदेश को संदर्भित किया है कि ऐसे कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले ऐसे लाइसेंसधारकों के पी0डी0एस0 लाइसेंस को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

तथापि, यह स्प्ष्ट है कि प्रत्यर्थी सं0 3 ने दिनांक 19.07.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का पी0डी0एस0 लाइसेंसस रद्द करते समय इस मुद्दे का कोई तथ्यात्मक निर्धारण नहीं किया है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता वास्तव में कथित कालाबाजारी में शामिल पाया गया था। कथित आदेश में यह भी प्रतिबिंबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता का पी0डी0एस0 लाइसेंस रद्द करने के कथित निर्णय पर पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में कहा है कि हालांकि एक एफ0आई0आर0 याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें मिट्टी के तेल की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसे निचली अदालत में जी0आर0 सं0 3780/2015/टी0आर0 सं0 1884/2016 में एस0डी0जे0एम0, रामगढ़ द्वारा दिनांक 08.05.2018 को पारित फैसले द्वारा बरी कर दिया गया है।

यह एक स्थापित कानून है कि किसी भी प्रशासनिक/अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निर्णय लेते समय जिससे उसके नागरिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है। तब इस तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले उचित कारण देने की आवश्यकता है। चूंकि प्रत्यर्थी सं0 3 द्वारा दिनांक 19.07.2016 को पारित आदेश में कोई भी कारण नहीं दिया गया है, इसलिए यह कानून की नजर से पोषणीय नहीं है।

इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं0 2 (अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा दिनांक 07.01.2017 को पारित आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याची द्वारा प्रस्तुत की गई कथित अपील को खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। इस प्रकार, इसे कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तद्नुसार, पत्र संख्या 346/एए दिनांक 19.07.2016 में निहित आदेश जो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित है और प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा 07.01.2017 को विविध अपील सं0 33/2016 में पारित आदेश को, एतद्द्वारा, रद्द और अपास्त की जाती है। मामले को अनुमण्डल अधिकारी, रामगढ़ (प्रत्यर्थी सं0 3) को भेज दिया जाता है, ताकि याचिकाकर्ता को

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक युक्तियुक्त/सकारण आदेश पारित करके एक नया निर्णय लिया जा सके।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)